प्रेस नोट

दिनांक- 22.10.2021

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो के अभियुक्त को 15 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0133/14 धारा 376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट में अभियुक्त राजेश पुत्र राजाराम नि0पूरे शिवबक्स का पुरवा मजरे इबादुल्ला थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-7 जनपद सुलतानपुर द्वारा दिनांक 22.10.2021 को 15 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री सुकिरते पुत्र राजाराम नि0शिवबक्स का पुरवा मजरे इबादुल्ला थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 06.02.2014 समय 05.00 सुबह की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के16 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की इस सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0133/14 धारा 376 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर एस0ओ0श्री रतन सिंह द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-37 दिनांक 15.03.14 को मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी।